कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना, Regional Office, Patna
भविष्य निधि भवन/Bhavishyanidhi Bhawan
आर0 ब्लॉक, रोड नं0–6, पटना–800 001/R, Block, Road No – 6, Patna – 800 001
दूरभाष/Phone : 0612-2227139, 2227410, Fax - 0612 - 2506632: e-mail : ro.patna@epfindia.gov.in

वाहन आपूर्ति के लिए निविदा सूचना

अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, आंचलिक कार्यालय, बिहार एवं झारखंड के लिए एवं क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, पटना मासिक किराये के आधार पर वाहन, चालक के साथ वाहन आपूर्ति करने वाले एजेंसियों से मध्यम आकार का दो कार **(ईनोवा/स्कॉपियो/स्वीफ्ट डिजाइर /अरटिगा)** किराये पर लेने के लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित है ।

निविदा संदर्भ कमांक	04/2018
निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू0 500/– प्रति निविदा
पेशगी की राशि	रू0 10000/– प्रति निविदा
निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	**01/05/2018** 3:00 अपराहन
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	**01/05/2018** 5:00 अपराहन
पत्राचार का पता	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, आर0 ब्लॉक, रोड न0–6, पटना–800 001
पदाधिकारी का नाम विवरण, जिनके नाम से पेंशगी राशि एवं निविदा मूल्य देय होगा ।	डिमांड ड्राफ्ट, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, के पक्ष में, पटना में देय

निविदा प्रपत्र, निविदा शर्तो के साथ 23/04/2018 से **01/05/2018** तक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, बिहार, पटना से प्राप्त किया जा सकता है ।

(मनीष मणि)
सहायक भविष्य निधि आयुक्त
बिहार,पटना

नियम एवं शर्तें

1. सभी खर्च/चालक का भाड़ा, आयल, पेट्रोल/डीजल, बीमा, टैक्स, मरम्मति एवं गाड़ी का रखरखाव इत्यादि जो भी नाम है, द्वितीय पार्टी/एजेन्सी द्वारा वहन किया जाएगा।
2. वाहन टैक्सी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से नियमानुसार पंजीकृत होना चाहिए। संविदा हस्ताक्षरित होने से पूर्व गाड़ी को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।
3. चालक एवं वाहन गाड़ी को मोटर भेकिल एक्ट के सभी प्रावधानों एवं संबंधित नियमों का पालन करना होगा। चालक को हमेशा यूनिफार्म/ड्रेस में (उजला सफारी सूट/उजला शर्ट पैन्ट) रहना होगा। अधिकारी के संतुष्ट होने पर उनका सेवा जारी रखा जाएगा। किसी भी अधिकारी के निर्देश पर एक बार हटाया गया चालक विभाग के किसी दुसरे अधिकारी के साथ नहीं लगाया जाएगा।
4. द्वितीय पार्टी/चालक तेज (वाहन) गाड़ी परिचालन/दुर्घटना के लिए सभी विधिक एवं वित्तीय भार वाहन करने के लिये पूर्णरूपेन जिम्मेदार होगें।
5. प्रथम पार्टी/EPFO के कार्यालय से माइलेज की गणना की जाएगी।
6. वाहन में फ्यूल डलवाने, मरम्मति एवं रखरखाव के लिए माइलेज एवं समय की गणना नहीं की जाएगी।
7. यदि वाहन खराब होता है,या मरम्मति में होता है या चालक अनुपस्थित होता है या चालक नशे में पाया जाता है तो द्वितीय पार्टी को आधे घंटे के अन्दर दूसरा वाहन एवं चालक उपलब्ध कराना होगा। यदि एजेन्सी ऐसा करने में सक्षम नहीं होता हैं या दूसरा वाहन/चालक निश्चित समय तक उपलब्ध नहीं कराता है, तो प्रथम पार्टी चालक सहित वाहन भाड़ा पर लेने के लिए सक्षम होगा एवं वाहन का भाड़ा एवं प्रतिदिन रू 1500 दण्डस्वरूप द्वितीय पार्टी/एजेंन्सी से वसूला जाएगा।
8. वाहन भाड़ा एग्रीमेन्ट प्रथम पार्टी अथवा द्वितीय पार्टी द्वारा 45 दिन पूर्व सूचना देकर रद्द किया जा सकता है।
9. एजेन्सी एवं चालक निर्धारित क्षेत्र से बाहर जाने के योग्य/इच्छुक होना चाहिए।
10. द्वितीय पार्टी द्वारा प्रस्तुत किये गये मासिक बिल आयकर अधिनियम के तहत टैक्स की राशि कटौती के उपरांत एजेन्सी के खाता में भुगतान किया जाएगा।
11. द्वितीय पार्टी के द्वारा देय भाड़ा गणना करने के उद्देश्य से EPFO द्वारा लॉगबुक उपलब्ध कराया जाएगा,। द्वितीय पक्ष द्वारा लॉगबुक का रखरखाव किया जाएगा एवं लॉगबुक प्रतिदिन संबंधित अधिकारी /नामित अधिकारी के द्वारा सत्यापित कराया जायेगा । संविदा के समाप्ति के बाद द्वितीय पार्टी लॉगबुक को प्रथम पार्टी को जमा कर देगा।

12 वाहन/चालक के रिर्पोटिंग समय का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाएगा एवं यदि आधा घंटा विलम्ब होता है, तब प्रथम पार्टी चालक सहित वाहन भाड़ा पर लेने में सक्षम होगा एवं द्वितीय पार्टी से वाहन का भाड़ा वसूला जाएगा साथ में उपरोक्त चूक के लिए रु 1000/– प्रतिदिन दण्डस्वरूप भरना होगा।

13 द्वितीय पार्टी द्वारा वाहन का यदि समय पर मरम्मति एवं रखरखाव नहीं किया जाता है तो प्रथम पार्टी द्वारा अपने अधिकार के तहत मरम्मति करवाकर भाड़े से राशि काट

ली जाएगी यदि वाहन का रखरखाव अच्छी स्थिति में नहीं होता है तो 15 दिन पूर्व सूचना देकर संविदा को रदद् किया जा सकता हैं।

14 वाहन से संबंधित सभी खर्च एवं विधिक प्रक्रिया द्वितीय पार्टी के द्वारा वहन एवं सम्पादन किया जाएगा।

15 संविदा की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष कि होगी, अगले वर्ष के लिए नवीकरण पूर्णतया कर्मचारी भविष्य निधि के वर्त्तमान/सेशोधित नियम एवं शर्तों के अनुसार होगी ।

16 मासिक किराया शुल्क में सभी करो की लेवी, सेस आदि शामिल होगें, वशर्ते विशेष रूप से अन्यथा बिनिर्देशित हो।

17 द्वितीय पार्टी प्रत्येक माह के 15 तारीख के पहले 2300 कि0मी0 दूरी का मासिक बिल भाड़ा के लिए जमा कर देंगे एवं प्रथम पार्टी द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जाएगा फिर भी संविदा के अंत में वाहन के संपूर्ण दूरी की समीक्षा की जाएगी शेष माइलेज का अधिक भुगतान (उपरोक्त क्षतिपूर्ति के पश्चात्) की जाएगी।

18 संविदा की तिथि के उपरांत प्रचलित दर से 10% अधिक फ्यूल का दाम बढ़ने/घटने पर दर पर पुर्नविचार किया जा सकता हैं।

19 वास्तविकता के अनुसार टॉल एवं पार्किंग चार्ज प्रतिपूर्ति किया जाएगा।

20 चालक के पास मोटर वाहन चालन हेतु मान्य चालन अनुज्ञप्ति होना चाहिए।

21 द्वितीय पार्टी को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के नाम से वार्षिक राषि का 5% बैंक गारंण्टी संविदा हस्ताक्षर होने के 15 दिन के अन्दर जमा करना होगा, जो कि संविदा के संतोषप्रद समाप्ति पर वापस किया जाएगा।

22 क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पटना का ये अधिकार सुरक्षित है कि निविदा प्राप्त करने की तिथि बढ़ा सकते है या निविदा प्रक्रिया को बिना कोई कारण बताए रदद् कर सकते हैं।

23 गाड़ी का मॉडल वर्ष 2017 से पुराना नहीं रहना चाहिए ।

24 वाहन एवं चालक की कार्य अवधि 8:30 बजे पूर्वाह्न से 7:30 बजे सांय तक सभी कार्य दिवसों में होगी । आकस्मिकता की स्थिति में चालक को 24 घंटे कार्य के लिए रोका जा सकता है और उसके लिए समयोपरि भत्ता देय होगा ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय , भारतसरकार)
क्षेत्रीय कार्यालय , भविष्य निधि भवन
आर. ब्लॉक, रोड नं0 –6
पटना – 800001

निविदा दस्तावेज के लिफाफा के उपरी हिस्से पर लिखा होना चाहिए।

" भाड़ा पर वाहन के लिए निविदा "

(मनीष मणि)
सहा. भ0 निधि आयुक्त
क्षेत्रीय कार्यालय , पटना

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना, Regional Office, Patna
भविष्य निधि भवन/Bhavishyanidhi Bhawan
आर0 ब्लॉक, रोड नं0–6, पटना–800 001/R, Block, Road No – 6, Patna – 800 001
दूरभाष/Phone : 0612-2227139, 2227410, Fax - 0612 - 2506632: e-mail : ro.patna@epfindia.gov.in

TENDER NOTICE FOR SUPPLY OF VEHICLE

Sealed quotations are invited by The Addl. C.P.F.C headed Zonal office, Employees Provident Fund Organization, Bihar & Jharkhand, and Regional Provident Fund Office,Patna from Agencies for hiring two mid-size car(Inova/Swift Dezire/Scorpio/Ertiga) on monthly rental basis alongwith driver.

:

Tender Reference Sl. No.	04/2018
Price of Tender Documents	Rs.500/- each
Earnest Money Deposit	Rs.10000/- each
Last date for submission of Tender	01/05/2018 3.00 P.M
Tender opening date & time	01/05/2018 5.00 P.M
Address for communication	Regional Provident Fund Commissioner, Employees Provident Fund Organization R. Block, Road No.6 Patna-800001
Designation and details of officer in whose name Earnest Money and cost of tender to be drawn	DD in favour of Regional Provident Commissioner Payable at Patna.

The Tender forms along with tender conditions can be obtained from the office of the Regional Provident Fund Commissioner, EPFO, Bihar,Patna between 23/04/2018 to 01/05/2018.at 12 noon

(Manish Mani)
Asst. P. F. Commissioner
Regional Office, Patna

The terms and conditions are as follows-

1. All expenses / charge of the driver, oil, petrol/diesel, insurance, taxes, repairs and maintenances etc of the vehicle , by whatever name called will be borne by the second party.
2. The vehicle should be registered as taxi or public transport with the Regional Transport Authority as applicable. The vehicle shall also be produced for physical inspection before signing of the contract.
3. The driver and the vehicle must comply with all the provisions of the Motor vehicle Act and other relevant laws. The driver must wear the Uniform (White Safari Suit/White shirt-pants) at all times. His services will be subject to satisfaction of the Controlling Officer. Any driver once removed on instructions of an Officer shall not be employed with any other Officer in the Department.
4. The second party/ driver will be wholly and solely responsible for and liable to all legal and financial consequences arising out of rash driving /accident etc.
5. The mileage will be counted from the office of the first party.
6. The mileage and the time consumed for fuelling repair and maintenance of the vehicle will be excluded.
7. In case the vehicle breaks down or is under repair or the driver is absent, or the driver is found drunken alternative vehicle and driver will be provided by the second party within half-hour. However in case, second party fails to do so, or the alternative vehicle/driver is not upto mark, the first party will be entitled to hire another chauffer-driven vehicle and recover the charges for the same along with penalty @ Rs.1500/- per day from the second party.
8. The vehicle hire agreement can be terminated by the either party after serving 45 days advance notice on the other party.
9. The vehicle and the driver should be eligible/willing to travel outside the territorial jurisdiction of the Region/Zone also.
10. On the basis of monthly bills raised by the second party, the hire charges will be paid through account payee cheque after deduction of Tax at source as per the Provisions of the Income Tax Act as applicable.
11. For the purpose of calculating hire charges payable, Log Book shall be provided by the second party. Form of the Log Book will be the same as maintained by the Central Government/EPF Department for their official vehicle. The Log Book shall be maintained by the second party & it has to get the same verified on day to day basis from party either himself or through an officer designated by him. After the completion of the contract, the Log Book shall be submitted to the first party.

12. The time limit for reporting of the driver/vehicle should be followed strictly and in the Case of delay of more than half an hour, the first party will be entitled to hire another Chauffer driven vehicle and recover the charges for the same from the hiring charges payable to the second party. Along with penalty of Rs. 1000/- per day of such default.
13. In case timely and proper maintenance & repairs of the vehicle are not carried out be the second party, the first party will be within its right to carry out the repairs and Deduct the amount from the hire charges payable. The hire agreement will be terminated if the vehicle is not kept in well- maintained condition by issuance of 15 days notice in advance.

14. All the expenses and legal formalities relating to the vehicle should be borne and performed by the second party.
15. The period of contract shall be initially for one year from the date of awarding the contract subject to renewal for further one years, on the sole discretion of EPFO on existing/revised terms and conditions.
16. The monthly hire charges will be inclusive of the all taxes levies, cess etc. except specifically provided as otherwise.
17. The Second party will submit a monthly bill for hire charges for distance of 2300 Kms on or before 15 of the following month and payment will be made by the first party accordingly. However, the total running of vehicle will be reviewed at the end of the agreement. Payment of the remaining mileage in excess (after the offset mentioned above) will be made..
18. The rates can be renegotiated in case of an increase/decreases in the price of fuel beyond 10% over the price prevailing as on the date of signing of the contract.
19. Charges towards Toll and parking would be reimbursed as per actual.
20. The driver should be will mannered, experienced and must carry a mobile phone (at the cost of successful bidder). The driver should possess a valid driving license for LMV.
21. The second party will be required to furnish Bank Guarantee in the name of CBT, EPF for an amount of 5% of the annual amount within 15days of award of contract, which will be released to the second party on satisfied completion of the contract.
22. The Regional PF Commissioner Patna, reserve the right to extend the date of receipt of quotations or to cancel the tender notice without assigning any reason.
23. Vehicle should preferably be not older than 2017 model
24. The duty hours for the drivers and vehicle will be from8.30 AM to 7.30 PM on all days.In case of emergency driver can be retained for 24 hours duty and over time shall be allow.

The Regional PF Commissioner
Employees'Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour, Government of India),
Regional Office,
Bhavishyanidhi Bhawan
R Block, Road no-6
Patna-800001

The tender documents should super scribe in envelop with "Quotation for hiring of Vehicle"

(MANISH MANI)
ASSISTANT P.F COMMISSIONER
Regional Office, Patna